

86



समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र. क.

1. गोविन्दसिंह

2. अगरसिंह पुत्रगण श्री गजराजसिंह
रावत निवासी ग्राम नरौआ तहसील
नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.।

विरुद्ध

नबलसिंह पुत्र ब्रन्दा खंगार निवासी
ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला
शिवपुरी मध्यप्रदेश।

Online
30-12-13

R 4581 III/13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.11.13 प्र. क.
02/13-14/स्व.निगरानी पारित द्वारा कलेक्टर शिवपुरी
म.प्र.।

महोदय,

[Signature]
किशोर शर्मा
एस.ओ.
ग्वालियर
30-12-2013

जानिव आवेदकगण निगरानी निम्न प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण सदर में ग्राम नरौआ
तहसील नरवर जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 704 रकवा 1.62 है 0 निहित है
अनावेदक द्वारा विचारण न्याय तहसील नरवर जिला शिवपुरी के उभय पक्षी आदेश
प्रकरण क्रमांक 95-96/अ-6 आदेश दिनांक 07.05.1997 के विरुद्ध निगरानी
अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निगरानी कर्ता निगरानी सदर के द्वारा तामील पर दिनांक 17.09.13
को प्राथमिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करते हुए निम्न अधिकारिता विषयक आपत्ति
ली गई-

//2//

[Signature]


//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-4581-तीन/2013

जिला-शिवपुरी

गोविन्द सिंह व अन्य विरुद्ध नबल सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाष हस्ता
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के प्र. क्र. 02/2013-14/स्व-निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-11-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-08-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"> (आर0के0 जेन) 16/19 सदस्य</p>	